No. 02/28/2020-ES&IT
Government of India
Ministry of Mines
****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: December 06, 2021

ORDER

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 - Notifying products in respect of Mineral and Metal (except Steel) Sector in furtherance of the Order.

Reference: Department for Promotion of Industry and Internal Trade's Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 16.09.2020

Under the Government of India's Public Procurement (Preference to Make In India) [PPP-MII] Order, 2017, and the then Department of Industrial Policy & Promotion's (DIPP's), Order No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 and Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 28.05.2018 made thereunder to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India, the Ministry of Mines vide it's Order No. 7/49/2014-M.IV dated 16.10.2018 had notified minimum local content (higher than the 50% stipulated for local supplier) in respect of Zinc Metal (Ingots), Iron Ore and Barytes Ore.

2. Pursuant to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade's (DPIIT's) Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 16.09.2020, the Ministry of Mines has reviewed the domestic manufacturing / supply base and the available capacity and the extent of local competition in respect of items related to Mineral and Metal (except Steel) Sector with a view to prescribe minimum local content for Class I and Class II local suppliers thereof.

3. On review from the point of view of involvement of value addition of the sectoral items, and existence or not of sufficient local capacity and competition; and in furtherance of the Public Procurement (Preference to Make In India) Order, 2017 notified vide reference(s) cited above, the Ministry of Mines hereby notifies the purchase preference to be accorded by all procuring entities as defined in PPP-MII Order, as per the minimum local content requirement for the product as specified under:

Sl. No.	Mineral/ Metal	Minimum local content (%)	
		Class I Supplier	Class II Supplier
1.	Aluminium Metal	60%	24%

4. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall be required to provide self-certification that the item offered meets the local content requirement for Class-I local supplier/ Class-II local supplier, as the case may be, and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made. In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crores, the Class-I local supplier/ Class-II local supplier shall be required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

5. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

6. The Ministry of Mines may, if needed, review the local content requirements of the item notified above or any other item(s) from item to time, subject to availability of sufficient capacity and local competition with adequate quality.

7. Ministry of Mines may issue such clarifications and instructions as may be necessary for the removal of any difficulties arising in the implementation of this Order.

8. All other terms and conditions will be as per the then DIPP's/ DPIIT's Orders cited above in this Order.

9. This Order comes into effect immediately and would remain valid till a revised Order is issued.

(Shakil Alam)
Economic Adviser

To

All Ministries/Departments of Government of India

Copy to

1. Prime Minister's Office
2. Cabinet Secretariat
3. NITI Aayog
4. Comptroller and Auditor General of India
5. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, and Chairman of Standing Committee for implementation of Public Procurement Order, 2017
6. Internal Distribution

Shakil Alam

(Shakil Alam)

सं. 02/28/2020-ईएसएंडआईटी
भारत सरकार
खान मंत्रालय
****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 06 दिसंबर, 2021

आदेश

विषय: सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 – इस आदेश के क्रम में खनिज और धातु (इस्पात को छोड़कर) क्षेत्र के संबंध में उत्पादों को अधिसूचित करना।

संदर्भ: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के दिनांक 16.09.2020 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई- II)

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) [पीपीपी-एमआईआई] आदेश, 2017, और तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-बीई-II और 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने के लिए तथा भारत में वस्तुओं के विनिर्माण और उत्पादन एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके तहत बनाए गए दिनांक 28.05.2018 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई- II) के तहत, खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.10.2018 के आदेश संख्या 7/49/2014-एम.IV के तहत जस्ता धातु (इनगॉट्स), लौह अयस्क और बेराइट्स अयस्क के संबंध में न्यूनतम स्थानीय सामग्री (स्थानीय आपूर्तिकर्ता के लिए निर्धारित 50% से अधिक) को अधिसूचित किया था।

2. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 16.09.2020 के आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई- II) के अनुसरण में, खान मंत्रालय ने श्रेणी I और श्रेणी II स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री निर्धारित करने के उद्देश्य से खनिज और धातु (इस्पात को छोड़कर) क्षेत्र से संबंधित घरेलू विनिर्माण/ आपूर्ति आधार और स्थानीय प्रतिस्पर्धा की उपलब्ध क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा की समीक्षा की है।

3. क्षेत्रीय वस्तुओं के मूल्यवर्धन को शामिल करने और पर्याप्त स्थानीय क्षमता और प्रतिस्पर्धा के होने या न होने की दृष्टि से समीक्षा करने पर तथा उपर्युक्त संदर्भ (संदर्भों) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के क्रम में खान मंत्रालय एतद्वारा पीपीपी-एमआईआई आदेश में परिभाषित सभी आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली खरीद वरीयता को उत्पाद के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकता के अनुसार नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार अधिसूचित करता है:

क्रम. सं.	खनिज धातु/	न्यूनतम स्थानीय सामग्री (%)	
		श्रेणी I आपूर्तिकर्ता	श्रेणी II आपूर्तिकर्ता
1.	एल्यूमिनियम धातु	60%	24%

4. निविदा, बोली लगाने या अनुरोध के समय स्थानीय आपूर्तिकर्ता को स्व-प्रमाण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी कि प्रदत्त वस्तु श्रेणी- I आपूर्तिकर्ता / श्रेणी- II आपूर्तिकर्ता, जैसा भी मामला हो, के लिए स्थानीय सामग्री की आवश्यकता पूरी करती है और वह उस स्थान जहां स्थानीय मूल्यवर्धन किया गया है, का ब्यौरा देगा। 10 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की खरीद

के मामलों में, श्रेणी- I आपूर्तिकर्ता / श्रेणी- II आपूर्तिकर्ता को स्थानीय सामग्री के प्रतिशत को दर्शाते हुए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

5. झूठी घोषणाएं सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 175(1) (झ)(ज) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए बोलीदाता या इसके उत्तराधिकारियों को नियमानुसार यथा अनुमत्य ऐसे अन्य कार्रवाइयों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151 (III) के अनुसार दो वर्षों तक वंचित किया जा सकता है।

6. खान मंत्रालय, यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त गुणवत्ता के साथ, समुचित क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा के अधीन, ऊपर अधिसूचित मद या किसी अन्य मद (मदों) की स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा कर सकता है।

7. खान मंत्रालय इस आदेश के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण और अनुदेश जारी कर सकता है।

8. अन्य सभी निबंधन और शर्तें इस आदेश में उपर्युक्त तत्कालीन डीआईपीपी/डीपीआईआईटी के आदेशों के अनुसार होंगी।

9. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और संशोधित आदेश जारी होने तक वैध रहेगा।

(शकील आलम)
आर्थिक सलाहकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग

प्रतिलिपि

1. प्रधानमंत्री कार्यालय
2. मंत्रिमंडल सचिवालय
3. नीति आयोग
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
5. सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा सार्वजनिक खरीद आदेश, 2017 के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति के अध्यक्ष
6. आंतरिक वितरण

शकील आलम

(शकील आलम)